

# न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका ।

राजस्व विविध वाद सं०- 01 / 2020-21

## सरयू सिंह वगैरह बनाम् सुदामा साव वगैरह आदेश

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
01/08/23		<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>यह अभिलेख आवेदक सरयू सिंह वो मंगरू सिंह वल्द स्व० मोहर सिंह साकिन सिरोंई खूर्द थाना वो अंचल- रंका जिला- गढ़वा के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर यह वाद प्रारम्भ किया गया। उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण के दादा के नामें चल रहे मांग में दर्ज प्लॉटों के रकबा को नये प्लॉट के साथ जो रकबा पूर्व से दर्ज है का मांग अपने नामें ऑनलाईन करने एवं मालगुजारी रसीद निर्गत करने वास्ते दाखिल किया है। आवेदकगण के दादा बहादुर सिंह वल्द जोधी सिंह के नामें ग्राम- सिरोंई खूर्द में भूमि है जिसका पुराना खाता सं०- 01 प्लॉट- 72 में रकबा- 1.03 ए० प्लॉट सं०- 73 में 1.59 ए०, प्लॉट सं०- 83 में 0.63 ए०, प्लॉट सं०- 35 में 0.35 ए० है जो पूर्व सर्वे में दर्ज है इसका मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं०- 25/2 पर कायम है। मांगधारी व इनके वंशज रसीद प्राप्त करते आये है।</p> <p>वहीं द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वाद में वर्णित भूमि में से विपक्षीगण के पूर्वज विपक्षी सं०- 01 के पिता- रामसुन्दर साव विपक्षी सं०- 2,3,4 के दादा रामसुन्दर साव एवं विपक्षी सं०- 05 के पिता बालदेव साव तथा महादेव साव का रैयती भूमि है। जिसका पुराना खाता सं०- 33 प्लॉट सं०- 72 रकबा- 1.20 ए०, खाता सं०- 03 प्लॉट सं०- 73 रकबा- 1.36 ए० एवं 0.44 कुल रकबा- 3.00 ए० जिसका हाल सर्वे के नया खाता सं०- 119 प्लॉट सं०- 1165 रकबा- 1115 ए० प्लॉट सं०- 1166 रकबा- 1.59 ए० प्लॉट सं०- 1177 रकबा- 1.03 ए० कुल रकबा- 3.77 ए० भूमि विपक्षीगण का रैयती भूमि है। हाल सर्वे में मौजा सिरोंई खूर्द के मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं० 117 पर कायम है। विपक्षीगण मालगुजारी अदा कर ऑनलाईन रसीद प्राप्त करते आ रहे है।</p>	

अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 429 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदत किया गया है कि ग्राम सिरौई खूर्द के पुराना मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं०- 2 पर पुराना खाता सं०- 01 पुराना प्लॉट सं०- 72, 73, 93, 35 रकबा क्रमशः 1.10 ए०, 1.60 ए०, 0.70 ए० तथा 0.70 ए० भूमि का मांग बहादुर सिंह पिता- मोही सिंह के नाम पर दर्ज है। गतसर्वे का खाता सं०- 01 प्लॉट सं०- 72, 73, 93 रकबा क्रमशः 1.03 ए०, 1.59 ए० एवं 0.70 ए० भूमि का हाल सर्वे में बना खाता सं०- 119 प्लॉट सं०- 1177, 1165 एवं 1166 रकबा क्रमशः 1.03 ए०, 0.35 ए० एवं 1.59 ए० का ऑनलाईन मांग रामसुन्दर साव, सहदेव साव, बालदेव साव, महादेव साव पिता- विशेष्वर साव के नाम पर दर्ज है। जिसका ऑनलाईन रसीद निर्गत है तथा हाल सर्वे का सिल सिलेवार खतियान अभिलेख में संलग्न है।

आवेदकगण के अपील आवेदन पत्र में वर्णित प्लॉट पर हाल सर्वे के खाता धारक रामसुन्दर साव वगैरह के वंशजों का दखल कब्जा है। अंचल अमीन द्वारा ट्रेस नक्शा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः न्यायालय सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत एवं अंचल अधिकारी का जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षकों के द्वारा दाखिल जवाब दस्तावेज का अवलोकन करने के दौरान यह पाया कि विपक्षीगण का लगभग 50 वर्षों से दखल कब्जा चला आ रहा है तथा हाल सर्वे खतियान में भी विपक्षीगण का खाता एवं दखल प्राप्त है। इस परिस्थिति में आवेदनगण का आवेदन पत्र को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।



उप समाहर्ता भूमि सुधार,  
रंका।